

निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया

निष्क्रिय खाते:

किसी बचत/चालू खाते को निष्क्रिय माना जाएगा, यदि खाते में दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई "ग्राहक द्वारा लेनदेन" नहीं किया जाता है। निष्क्रिय होने पर प्रभाव जब कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो नए केवाईसी दस्तावेजों को जमा किए बिना नामे (डेबिट) लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया:

- निष्क्रिय खाते वाले ग्राहक, नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ शाखा में जाएं।
- खाते को सक्रिय करने के लिए शाखा में अनुरोध करें।
- शाखा ग्राहक द्वारा प्रस्तुत केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर खाते को सक्रिय करेगी।
- खाते के सक्रिय होने की सूचना ग्राहक को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।
- खाते को सक्रिय करने के लिए शाखाओं द्वारा प्राप्त सभी अनुरोधों को पूरी तरह से भरे गए आवेदन की प्राप्ति से तीन कार्य दिवस के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

*ग्राहक द्वारा लेनदेन:

खाते में किए गए लेन-देन जो निम्नलिखित प्रकृति के हैं:

- क) बैंक/अन्य पक्ष द्वारा खाताधारक की ओर से अथवा खाताधारक द्वारा किया गया वित्तीय लेनदेन जैसे नकद आहरण/जमा, आरटीजीएस, एनईएफटी, एनएसीएच, लाभांश आदि। अथवा;
- ख) गैर-वित्तीय लेनदेन जैसे कि खाताधारक द्वारा किसी भी एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग या बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन या तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाताओं के माध्यम से किसी भी उत्पाद / सेवा के लिए पूछताछ या अनुरोध, जिसके लिए द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण (2एफए) की आवश्यकता होती है और जिसमें ऑडिट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्रोत का पता लगाया जा सकता है अथवा मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन आदि में सफल लॉग-इन। अथवा;
- ग) केवाईसी अपडेशन प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से या डिजिटल चैनलों जैसे बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाता है।

दावा न किए गए जमा खातों का दावा

निष्क्रिय खातों (10 वर्ष और उससे अधिक)/अदावाकृत जमाराशियों पर दिशानिर्देश

भारत में किसी भी बैंक में किसी खाते की बकाया जमा राशि, जिसका संचालन दस वर्ष की अवधि से नहीं किया गया है या कोई जमा राशि या कोई राशि जो दस वर्ष से अधिक समय से दावा न की गई हो, उसे दस वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA Fund) कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ग्राहक/उत्तरजीवी/कानूनी उत्तराधिकारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जैसा भी मामला हो, खाते को सक्रिय करने के लिए अदावाकृत जमा के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग्राहक सभी आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों के साथ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर (छ.ग.) की शाखा में जा सकते हैं। यदि ग्राहक खाता सक्रिय करना चाहता है और उसमें परिचालन जारी रखना चाहता है, तो बैंक शाखा ग्राहक से विशिष्ट अनुरोध स्वीकार करेगी और उचित केवाईसी प्राप्त करके खाते को पुनः सक्रिय करेगी। अंतिम दावों और खाते को बंद करने के मामले में, शाखा ग्राहक से विशिष्ट अनुरोध स्वीकार करेगी और तदनुसार प्रक्रिया करेगी।

दावे की प्रक्रिया

ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत दावा-

ग्राहक अनुरोध पत्र (दिए गए प्रारूप में) के साथ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर (छ.ग.) शाखा में जा सकते हैं और पहचान, पते और नवीनतम फोटो का वैध प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके सत्यापन के बाद, शाखा खाते को चालू कर देगी और खाते में लेनदेन की अनुमति देगी।

कानूनी उत्तराधिकारी / नामित व्यक्ति द्वारा दावा

कानूनी उत्तराधिकारी/नामिती जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर (छ.ग.) शाखा में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ग्राहक को बैंक की दावा निपटान प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।

गैर-व्यक्ति द्वारा दावा

ग्राहक कंपनी/फर्म/संस्था के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दावा फॉर्म अपने वैध पहचान और पते के प्रमाण के साथ जमा कर सकते हैं। ग्राहक को बैंक द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं।

दावा न किए गए जमा/निष्क्रिय खाते: दावा प्रपत्र

शाखा प्रबंधक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर (छ.ग.),

शाखा _____

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं/हम नीचे हस्ताक्षरकर्ता श्री/श्रीमती/सुश्री/_____

स्वयं/ नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारी / अन्य, / _____

कृपया निर्दिष्ट करें)श्री/श्रीमती/सुश्री/अन्य _____

के नाम से आपके बैंक में रखे गए जमा खाते(खातों) के लिए दावे के निपटान हेतु अनुरोध.

नाम खाता संख्या एवं अन्य विवरण:

(दस्तावेजी प्रमाण के साथ)

दावेदार(रों) का नाम :

पिन कोड के साथ संचार पता:

जन्म तिथि पैन नं. पासपोर्ट नं. टेलीफोन/मोबाइल नं.

मैं/हम समझते हैं कि दावे का निपटारा उचित परिश्रम और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के बाद किया जाएगा और यह बैंक की प्रक्रिया और नीति के अधीन होगा। मैं/हम बैंक को दावों की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देते हैं और दावे का निपटान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं।

तारीख:

हस्ताक्षर:_____

नाम :_____

ग्राहक पावती पर्ची (बैंक अधिकारी द्वारा भरी जाएगी)

श्री/श्रीमती/सुश्री_____से दावा न किए गए
जमा/निष्क्रिय खाते का दावा करने एक अनुरोध प्राप्त हुआ।

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

शाखा _____